Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to rescind Section 28 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): महोदय, आज मैं आपके संरक्षण में "पशु क्रूरता निवारण अधिनियम1960" की धारा 28 को हटाने का आग्रह कर रहा हूँ । इस धारा के अंतर्गत किसी भी जानवर को धार्मिक कारणों से मारने की अनुमति प्रदान की गई है । हर वर्ष बकरियाँ, भैंस, ऊँट सहित हजारों बेजुबान जानवरों को धार्मिक रीति रिवाज के नाम पर बेहद गंदी एवं अस्वस्थ परिस्थितियों में अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा मौत के घाट उतारा जाता है । यह क्रूर कृत्य है, बूचड़खानों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जानवरों को मारा जाता है । इसमें मारे गये जानवरों के खून एवं शारीरिक अंगों का पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है । इस तरह कुर्बान किए गये जानवरों के माँस का सेवन मानव स्वास्थ्य हेतु बेहद खराब है, क्योंकि मारे गये जानवरों की किसी भी प्रकार की अधिकारिक स्वास्थ्य सुरक्षा जांच नहीं होती है । अतः मेरा अनुरोध है कि पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 28 को हटाया जाए एवं जो जानवरों की कुर्बानी देना चाहते हैं, तो उन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में ऐसा करने की अनिवार्यता होनी चाहिए ।